

सं0 1-टी/परि./परिपत्र/2020

दिनांक:- 15.01.2020

मण्डल रेल प्रबन्धक, कार्यालय

30 रे0 मुरादाबाद

मण्डल के समस्त परिचालन अधिकारी।

मण्डल के समस्त इन्जी0 अधिकारी।

मण्डल के समस्त सिगनल एवं दूरसंचार अधिकारी।

मण्डल के समस्त यातायात निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर।

मण्डल के समस्त खण्ड अभियंता/रेलपथ ।

मुख्य नियन्त्रक (प्रभारी)/कन्ट्रोल मुरादाबाद तथा उप मुख्य नियन्त्रक (Punctuality)/कन्ट्रोल मुरादाबाद।

प्रतिलिपि:- मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सा0)/नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- मण्डल रेल प्रबन्धक एवं अपर मण्डल रेल प्रबन्धक/मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- प्रवर मंडल संरक्षा अधिकारी/मुरादाबाद को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- प्रवर मंडल अभियंता/समन्वय मुरादाबाद को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- प्रवर मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/समन्वय मुरादाबाद को सूचनार्थ।

विषय:-समपार फाटको के गेट संचालन नियम अद्यतन(अपडेट) रखने के सम्बन्ध में।

मंडल में समपार फाटको के निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया है कि उनके गेट संचालन नियम (GWR) अद्यतन नहीं हैं। अतः सहायक नियम 16.03/01 के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि मंडल के ट्रैफिक गेटों के लिये गेट संचालन नियम यातायात निरीक्षक/स्टेशन संचालन नियम के द्वारा तथा इन्जी0 गेटों के गेट संचालन नियम (GWR) इन्जीनियरिंग शाखा द्वारा तैयार एवं अद्यतन किये जायें।

सभी यातायात निरीक्षक तथा स्टेशन अधीक्षक अपने निरीक्षणों के दौरान यह देखेंगे कि ट्रैफिक तथा इन्जीनियरिंग गेटों पर गेट संचालन नियम (GWR) अद्यतन है और कार्य संचालन में उसका पालन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मंडल कार्यालय के संज्ञान में लायें।

SR 16.03/01 Special instructions shall be embodied in the Station Working Rule for all Traffic level crossing gates located between the outer most stop signals and also those Engineering level crossing gates located beyond the outer most stop signals, but provided with telephonic communications. These instructions shall be framed by engineering branch signed by sectional DEN with prior approval of Sr.DOM/DOM & Sr. DSTE/DSTE. Action to be taken by Gateman/SM in the event of failure of communication between the level crossing and the station/cabin should specially be mentioned in such rules/instructions. A copy of these rules/relevant extract from the station working rules should be provided at the gate lodge at manned level crossing.

आशीष सिंह

मंडल परिचालन प्रबन्धक(जी.एण्ड.सी)

उत्तर रेलवे,मुरादाबाद